आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
2	3

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर0ई0 वाद सं0– 16/2019–20

हिरामन बेवा

बनाम

ईमानी शेख

आदेश

18.01.2020 प्रस्तुत उच्छेदी वाद आवेदिका हिरामन बेवा, पति– स्व0 एनताज अली, सा0– जामनगर ताहिरटोला, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज के द्वारा आवेदन के आलोक में विपक्षियों के विरूद्ध प्रारम्भ की गई है।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
जामनगर	228	1085	01–03–10 में से 00–05–00

नोटिश तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। आज आवेदिका उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही अपना पक्ष रखना उचित समझा है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में भी इसी विवादित भूमि को लेकर आर0ई0 वाद सं0 05/2014–15 हिरामन बेवा–बनाम्–ईमानी शेख एवं अन्य प्रारम्भ की गई थी, जिसमें विपक्षीगण को उच्छेद करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त पारित आदेश के आलोक में विपक्षी ईमानी शेख वगैरह के द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में आर0एम0ए0 वाद सं0 20/2016–17 दाखिल किये।

उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय के आर0एम0ए0 वाद सं0 20/2016–17 में दिनांक 26.08.2017 को पारित आदेश में दोनों पक्षों के बीच समझौता का उल्लेख कर उत्तरवादी के अनुरोध पर वाद की कार्रवाई को समाप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में कोई भी निम्न न्यायालय अपने वरीय न्यायालय के आदेश को परिवर्तित नहीं कर सकता है।

अतः आवेदिका के द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को समाप्त किया जाता है। उभय पक्ष चाहें तो वाद का निराकरण हेतु सक्षम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner